

5.8.24 वकील प्रार्थी हय.। वकील प्रार्थी द्वारा डीडी मूल्यक शपथपत्र किड
में अंकन होज बताया। प्रार्थी फ में डीडी कादीकारी शेष
नहीं होवे पर प्रार्थी पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी
नंबर से कम होकर वापिसल करवा है।

GCMS
2021/149

आदेश से कलाल सुजाता यय।

✓

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

